विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, बिलासपुर (छ.ग)

(पीठासीन अधिकारी – अध्यक्ष श्री सी0एम0बाजपेयी
सदस्य श्रीमती प्रीति रानी साव)

आवक क्रमांक ...546
दिनांक ...8...JUL...2026

प्रकरण क्रमांक 26014/2026
संस्थित दिनांक 20.04.2026

श्री नीलेश कुमार सक्सेना (सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री, छ.रा.वि.ज.कं.मर्या.),
एचआईजी–75, सागरदीप कॉलोनी, सकरी,
जिला–बिलासपुर (छ0ग0)

परिवादी

विरूद्ध

1. कार्यपालन यंत्री (सं./सं.) संभाग,
छ0रा0वि0वि0कं0मर्या0 बिलासपुर (छ.ग.)

2. सहायक यंत्री (उपसंभाग),
छ0रा0वि0वि0कं0मर्या0 सकरी (छ.ग.) **उत्तरवादी**

आदेश

(आज दिनांक **06.07.2026** को पारित)

परिवादी की शिकायत माह जून 2025 में पुराने मीटर को बदलकर नया मीटर लगाने के बाद एकमुश्त संचयी खपत पर जारी त्रुटिपूर्ण बिल को सुधार करने तथा मांग पत्र को रदद् किये जाने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है;

2. मामले में उभय पक्षों के मध्य निम्नलिखित तथ्यों पर विवाद नहीं है:–

1. परिवादी को स्थायी घरेलू कनेक्शन प्रदाय किया गया है तथा नियमित देयक जारी किया जा रहा है।
2. परिवादी को पुराने मीटर के आधार पर माह मई 2025 तक जारी किया गया बिल परिवादी द्वारा प्रतिमाह नियमित रूप से भुगतान किया जाता रहा है।

3. स्वीकृत तथ्यों के अलावा परिवाद/शिकायत संक्षेप में इस प्रकार है कि :–

(परिवादी द्वारा घरेलू कनेक्शन प्राप्त करने के पश्चात् से लगातार नियमित रूप से मीटर में दर्ज रीडिंग के आधार पर जारी देयकों का भुगतान किया जा रहा है। परिवादी के परिसर में माह जून 2025 में नया मीटर स्थापित किए जाने के बाद आगे के माह में विद्युत बिल

सत्य प्रतिलिपी

उत्तरवादी द्वारा नही दिया गया तथा परिवादी द्वारा लिखित शिकायत करने पर उत्तरवादी द्वारा परिवादी को राशि रू. 76510/– का विद्युत देयक माह दिसम्बर 2025 में जारी किया गया। परिवादी द्वारा उत्तरवादी से पुछे जाने पर बताया गया कि पुराने मीटर में 4000 यूनिट बकाया था इस हेतु बिल जारी किया गया है। परिवादी के अनुसार माह मई 2025 से जून 2025 केवल एक माह में 4000 यूनिट खपत होना संभव नहीं है।

4. प्रस्तुत शिकायत का जो उत्तर उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकृत तथ्यों के अलावा संक्षेप में इस प्रकार है कि :–

1. उपभोक्ता के परिसर का मीटर दिनांक 19.06.2025 को बदलकर स्मार्ट मीटर लगाया गया जिसका स.क्र. P4125436 है। मीटर बदली के दौरान पुराने मीटर में रीडिंग 25833 दर्ज पायी गयी। माह मई–2025 तक पुराने मीटर में रीडिंग 21817 तक बिल जारी हुआ था। चूंकि पुराने मीटर में रीडिंग 25833 पाये जाने के कारण 4016 यूनिट का बिल जारी होना था अतः हाई कंजम्पशन के कारण बिल जारी नही हो रहा था।
2. उत्तरवादी द्वारा बताया गया कि उपभोक्ता द्वारा कार्यालय में शिकायत दर्ज कराने पर जीनस कंपनी द्वारा दर्ज अंतिम रीडिंग की फोटो का मिलान कर रीडिंग सही पाये जाने पर माह दिसम्बर–2025 में नये स्मार्ट मीटर की हिस्ट्री रीडिंग एवं वर्तमान रीडिंग 5654 एवं पुराने मीटर की अंतिम रीडिंग 25833 अनुसार शेष खपत 4016 यूनिट कुल 9670 यूनिट का बिल जारी हुआ। एकमुश्त खपत का प्रकरण पाये जाने पर माह फरवरी–2026 में बिल सुधार हेतु माह नवम्बर–2024 से बिल रिवर्स करते हुए स्लेब प्रदान कर बिल पुनरीक्षित किया गया। जिसके अनुसार देयक में रू. 301/– कम किया गया।
3. उत्तरवादी के मीटर वाचक द्वारा बताया गया कि रीडिंग के दौरान गेट लॉक होने पर पूर्व खपत के अनुरूप रीडिंग दर्ज करते हुए बिल जारी किया गया है।

5. मामले के समुचित निराकरण हेतु निम्नालिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किये जाते हैं:–

1. क्या मीटर वाचक द्वारा मीटर में दर्ज रीडिंग अनुसार बिल प्रदाय किया जा रहा है?
2. क्या परिवादी, अपने परिसर में स्थापित विद्युत कनेक्शन बी.पी क्रमांक **1006015732** से संबंधित विद्युत बिल में सुधार करवाये जाने का हकदार है?

विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 की विवेचना एवं निष्कर्ष :–

6. विचारणीय प्रश्न से संबंधित प्रथमतः उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में प्रत्येक माह कि रीडिंग एवं मीटर सही होना पाया गया है।

सत्य प्रतिलिपी

विचारणीय प्रश्न से संबंधित द्वितीयः बी.पी. कमांक 1006015732 घरेलू कनेक्शन में 4000 यूनिट खपत दर्ज करते हुए राशि रू. 76510/– को निरस्त कर सही बिल जारी करने का निवेदन किया गया है परंतु उत्तरवादी द्वारा परिवादी के बिल को सुधार नहीं करते हुए उक्त 4000 यूनिट के अलावा 5000 यूनिट जोड़कर बिल जारी किया गया है। फोरम द्वारा दस्तावेजों के निरीक्षण में परिवादी द्वारा प्रस्तुत बिल सुधार हेतु निवेदन किया गया है, परिवादी का तर्क स्वीकार योग्य है।

उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत तर्क में बताया गया कि परिवादी के परिसर का मीटर बदलकर नया स्मार्ट मीटर लगाए जाने के दौरान पूर्व मीटर में एकमुश्त संचयी खपत 4016 यूनिट एवं नये स्मार्ट मीटर में प्राप्त रीडिंग 5654 यूनिट प्राप्त हुआ जिसे माह नवम्बर 2024 से फरवरी 2026 तक 16 माह का खपत मानकर स्लेब कर बिल सुधार कर परिवादी को जारी किया गया जिसमें राशि रू. 301/– कम करते हुए पुनरीक्षित देयक जारी किया गया है। उत्तरवादी का तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

मैं उक्त विचारणीय तथ्य का निष्कर्ष यह देता हूँ किः–

उत्तरवादी के मीटर वाचक के बयान अनुसार रीडिंग के दौरान गेट लॉक होने पर पूर्व खपत के अनुरूप रीडिंग दर्ज कर बिल जारी किया जाता रहा है, यह मान्य नहीं है।

उत्तरवादी द्वारा फोरम के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज प्रत्येक माह नियमित रीडिंग दर्ज होने के बाद भी एकमुश्त संचयी खपत होना पाया गया, यह उत्तरवादी की घोर लापरवाही को प्रदर्शित करता है।

7. समस्त विचारणीय प्रश्न के निष्कर्ष के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि सहायक यंत्री (उपसंभाग) छ.स्टे.पा.डि.कं.लिमि. सकरी द्वारा जवाब में यह तर्क दिया गया कि परिवादी के बिल को सुधार दिया गया है। फोरम के अनुसार परिवादी द्वारा उक्त तर्क से असंतुष्ट होते हुए गलत बिल को सुधारने हेतु निवेदन किया गया है।

8. उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष उपरांत मैं यह पाता हूँ कि परिवादी अपना मामला साबित करने में सफल रहा है। अस्तु प्रस्तुत परिवाद स्वीकार कर निम्नांकित आदेश पारित किया जाता हैः–

उत्तरवादी 30 दिवस के भीतर परिवादी के विद्युत कनेक्शन बी.पी. कमांक 1006015732 घरेलू कनेक्शन में जारी 9670 यूनिट खपत को 16 माह का खपत मानकर जारी किया गया है उसे निरस्त करे तथा छ0रा0वि0प्र0संहिता 2011 की कंडिका 9.18 के तहत् उक्त नये स्मार्ट मीटर की खपत को स्लेब कर प्राप्त औसत खपत को केवल छः माह का देयक पुनरीक्षित कर परिवादी को प्रदाय करे।

सत्य प्रतिलिपि

परिवादी को एकमुश्त संचयी खपत के आधार पर जारी किए गए देयक के विरूद्ध परिवादी द्वारा भुगतान की गई राशि को समायोजित करे तथा उक्त देयक में अधिरोपित अधिभार को निरस्त करे।

9. यदि परिवादी इस आदेश से संतुष्ट न हो तो वह इस आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी शांति नगर रायपुर (छ.ग) में अपील कर सकता है।

आदेश मेरे द्वारा बोलकर
टंकित कराया गया

सही/-
(प्रीति रानी साव)
सदस्य

सत्यप्रतिलिपि
सदस्य
वि.उ.वि.नि.को.
बिलासपुर (छ.ग.)

आदेश पारित किया गया

सही/-
(सी.एम. बाजपेयी)
अध्यक्ष